संक्षिप्त

जयराम का राष्ट्रीय स्तर पर चयन

मनोहरपुर, (निसं)। कस्बे के प्रतापपुरा निवासी जयराम गुर्जर पुत्र धोलूराम गुर्जर का नेटबॉल प्रतियोगिता में नेशनल लेवल पर चयन हुआ है। जयराम गुर्जर के बडे भाई महिपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय (राजस्थान यूनिवर्सिटी) नेटबॉल की टीम में गुर्जर का चयन हुआ। जयराम गुर्जर भवानी निकेतन टी.टी कॉलेज के बीपीएड द्वितीय वर्ष का छात्र है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम में चयन हुआ। जयराम गुर्जर 12 से 15 मार्च के बीच आयोजित ऑल इंडिया प्रतियोगिता में कर्नाटक में भाग लेगा। इस दौरान परिजन और मनोहरपुर व प्रतापपुरा के लोगों ने खुशी जाहिर कर बधाइयां दी है।

जयराम गुर्जर

कुंए में गिरने से युवक की मौत

निवाई, (निसं)। बरोनी पुलिस थाना के गांव पराणा में कुंए में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। थानाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि मुकेश उर्फ गौरू पुत्र बद्रीलाल जाट 26 वर्ष निवासी पराणा सोमवार को सुबह करीब 10 बजे नहाने के लिए कुंए पर गया था।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान सरकार
न्यायालय उप तहसीलदार, बगरू जिला-जयपुर
क्रमांक/भू.अ./2024/387 दिनांक : 11.03.2024
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम बगरूकलां के खसरा नम्बर 3291, 3292, 3293, 3294 कुल किता 4 कुल रकबा 5.9400 हैक्टेयर में हिस्सा 7/16 में मृतक खातेदार सुनिता पत्नि रामेश्वर प्रसाद जाति मीणा निवासी प्लाट नं. 3 कृष्णा नगर, करतारपुरा, जयपुर के नाम दर्ज आराजी की वसीयत प्रहिता अगस्त्य मीणा व शेखर मीणा के पक्ष में ना.करण दर्ज करने हेतु रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 26.07.2021 भू. राजस्व एक्ट की धारा 135 (2) में प्रकरण विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति हितबद्ध संस्था को इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की तिथि के सात दिवस में इस न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जायेगा।
(उम्मेद सिंह शेखावत)
उप तहसीलदार, बगरू जिला-जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-17517 दिनांक-10/03/24
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 261/237 (EWS), (एरिया 47.625 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री बिरदी चन्द सैनी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 8369 दिनांक 24.12.2003 को जारी किया गया। श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री चेतराम अठावाल एवं श्री विजय कुमार मोदी पुत्र श्री महावीर प्रसाद मोदी के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 456 दिनांक 02.05.2018 के द्वारा किया गया। श्रीमती विमला देवी एवं श्री विजय कुमार मोदी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 13.07.2018 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती विमला देवी की मृत्यु दिनांक 23.03.2020 को हो जाने के कारण अपने उत्तराधिकारी श्रीमती नीतू देवी पत्नी श्री विजय कुमार मोदी द्वारा उक्त आवास 1/2 हिस्से की स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती नीतू देवी पत्नी श्री विजय कुमार मोदी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज आवा मण्डल, जयपुर

तीये की बैठक

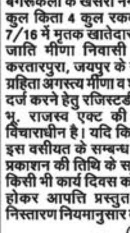

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी
श्री रामकिशोर जी शर्मा
खिलौने वाले (लीडर साहब) का आकस्मिक निधन 10.03.2024 को हो गया। तीये की बैठक 12.03.2024 को मध्यान 4 से 5 बजे तक ढूंढ नदी पुलिया के पास, ब्रह्म बगीची कानोता पर होंगी।
शोकाकुल- सरला शर्मा (धर्मपत्नी) रामशरण, हनुमान, पहलवान, दामोदर, पुरषोत्तम (भ्राता) संजय संदीप (पुत्र) सुप्रीत, राममनोहर एडवोकेट (पुत्री दामाद) किशोरीशरण, मैथलीशरण, भरतदास, गोविन्द (भतीजे) जीतेन्द्र, सूर्यकान्त, मोहित, अक्षय, अक्षत, नमन, गर्वित (पौत्र) जतिन (प्रपोत्र) रामानुज एडवोकेट (दोहीता) गुड्डा- आदित्य (दोहीती-दोहीती दामाद) एवं समस्त खिलौने वाला परिवार।
मों- 7821002363, 6376674446

आचार संहिता से पहले प्रस्तावित निर्माण कार्य शुरू करें : कलेक्टर

कोटपूतली कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिये।

- कलेक्टर ने अमृत सरोवर, आदर्श अमृत सरोवर आदि कार्य की समीक्षा की

कोटपुतली, (निसं)। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर तक पंचायती राज विभाग की योजना का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श चरागाह विकसित हो जिससे वहां एक अच्छा इकोसिस्टम विकसित हो सके तथा अतिक्रमण को रोका जा सके। इसके लिए शीघ्र ही इसकी कार्य योजना बनाकर जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदान करें जिससे उन कार्यों का निरीक्षण किया जा सके।

बैठक में मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में करवाये गए कार्यों पर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर ने अमृत सरोवर, आदर्श अमृत सरोवर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मॉडल ग्राम पंचायत, घर-घर कचरा संग्रहण और आंगनबाडी शौचालय कार्य की समीक्षा की। विधायक कोष और सांसद कोष से हुए कार्यों के समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2021-22 में 2023-24 के कार्यों पर भी चर्चा की।

बैठक में मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा कार्यों में किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कार्मिक पारदर्शिता के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि नियम और गाइडलाइंस के अनुरूप ही मनरेगा कार्य किए जाएं। कार्य में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा कार्य से संबंधित पेंडिंग फाइलों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में पहले से ही -फाइलिंग व्यवस्था प्रभावी है। कार्य स्थल पर मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और श्रमिकों को समय पर भुगतान देने के लिए जिला कलक्टर ने बीडीओ को निर्देशित किया।

वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणधीन कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर गठित कमेटी द्वारा टीम को भेजकर निर्माणाधीन कार्यो का अवलोकन करके गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जो आवास बन चुके हैं, उनकी जिओ टेगिग समय पर करवाने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि आचार संहिता प्रभावी होने से पहले प्रस्तावित निर्माण कार्यों को जल्द ही शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग करें तथा निर्माण कार्य स्थल की फोटो खींचकर ऑन रिकॉर्ड करें। बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास, नीमराना विकास अधिकारी राकेश वर्मा, बानसूर विकास अधिकारी महेंद्र सैनी, पावटा विकास अधिकारी शंकर वर्मा, विराटनगर विकास अधिकारी वेद प्रकाश बावता, कोटपूतली विकास अधिकारी राजकुमार बायला आदि मौजूद रहे।

अतिक्रमण मामले में कलेक्टर को अवमानना नोटिस

मालपुरा, (निसं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को टोंक जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झां को अदालती आदेश के बावजूद मालपुरा उपखंड के हाथगी गांव के चरागाह से अतिक्रमण नहीं हटाने से जुडे मामले में अवमानना नोटिस जारी कर 8 अप्रेल तक पालना रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश अविनाश झिंगन एवं न्यायाधीश भुवन गोयल की खण्डपीठ ने आदेश हाथगी निवासी नंदसिंह राजपूत व अमर सिंह राजपूत द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा वाले के जरिये दायर की गई अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुये दिये। याचिक में बताया कि हाथगी गांव के चरागाह के खसरा नंबर 100/1 व 102 पर गांव के ही प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे है। इन्हे हटाने के लिये स्थानीय प्रशासन को भी आग्रह किया गया लेकिन कार्यवाही नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर न्यायालय ने 25 जुलाई 2023 को तीन माह में अतिक्रमण हटाने के लिये टोंक जिला कलेक्टर को आदेश दिये गये थे लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

सिवायचक भूमि को किसी भी कार्य हेतु आवंटन नहीं करने की मांग

पंचायत समिति लालसोट के प्रधान नाथूलाल मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ए.डी.एम. मनमोहन मीणा को ज्ञापन दिया।

लालसोट, (निसं)। पंचायत समिति लालसोट के प्रधान नाथूलाल मीणा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा मिर्जापुर ग्राम पंचायत की किराडी स्थित सिवायचक भूमि पर किसी भी प्रकार के ग्रिड कार्य हेतु भूमि आवंटन नहीं करने की मांग को लेकर सोमवार को एडीएम मनमोहन मीणा को ज्ञापन दिया गया।

सिवायचक भूमि में पावर ग्रिड निर्माण के लिए भूमि आवंटन नहीं हो इसके लिए ज्ञापन के साथ ऐसी किसी प्रक्रिया को आगे बढाने को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने बताया की वरिष्ठ महाप्रबंधक पांवर ग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड ने पत्र दिया जिसमे उपरोक्त कार्य के लिये चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु क्षेत्र लालसोट के ग्राम किराडी की सिवायचक भूमि की जमाबंदी प्रेषित की गई तथा दो-दो प्रतियों में प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा है। जो कि ग्राम किराडी के निवासियों के साथ घोर अन्याय है। जिसे ग्राम पंचायत के सभी निवासी विरोध करते है एवं ग्राम पंचायत मिर्जापुरा ग्राम किराडी की सिवायचक भूमि उक्त कार्य हेतु आवंटन नहीं किया जावे।

ग्राम किराडी के सभी ग्रामवासी उक्त ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते है कि उक्त ग्राम किराडी की भूमि को ग्रामवासियों के लिये आमजन की सुविधा हेतु यथावत रखी जाये। इसको अन्य तहसील के बाहर के कार्य के लिये आवंटन नहीं किया जावें। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम किराडी ग्राम पंचायत मिर्जापुरा की सिवायचक भूमि को ग्राम के समस्त ग्रामीणों के सरकार द्वारा ग्रामवासियों के हितार्थ, सुरक्षित रखा जायें। इसको किसी अन्य कार्य हेतु तहसील लवाण के लिये 765/400 के.वी. 34 केन्द्र निर्माण के लिये आवंटन नहीं किया जावे। अन्यथा मजबूरन लोगों को संघर्ष करना पडेगा। इस दौरान पंस लालसोट प्रधान नाथूलाल मीणा आदि ग्रामीण मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम कल

- कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने संवाद कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली

टोंक, (निसं)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 13 मार्च को शाम 4 बजे वर्चुअल माध्यम से देश के 509 जिलों के लगभग 1 लाख लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं की ऋण राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और लाभार्थियों से संवाद, वंचित समूहों को ऋण की मंजूरी, सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को नमस्ते आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट का वितरण करेंगे। जिला मुख्यालय के बमोर गेट स्थित कृषि ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री मोदी के संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने कृषि ऑडिटोरियम में संवाद कार्यक्रम से जुडे अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश चौधरी को संबंधित विभागों के अधिकारियों की विभागवार जिम्मेदारियां तय करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, टोंक के उप निदेशक धर्मराज प्रतिहार एवं अनुजा निगम के सांख्यिकी अधिकारी सुनील मीणा से कार्यक्रम की रूपरेखा, लाभार्थियों, बैठक व्यवस्था, जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की। बैठक में एएसपी सरिता सिंह, एसडीएम पीपलू कपिल शर्मा, नगर परिषद आयुक्त ममता नागर, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. महबूब खान मंसूरी, संयुक्त निदेशक डीओआईटी संदीप कुलश्रेष्ठ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रमेश चंद जैन एवं विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता पीके करनाल आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

विश्वकर्मा मंदिर समिति की बैठक

फुलेरा, (निसं)। कस्बे के श्री विश्वकर्मा मन्दिर परिसर में मासिक मीटिंग का आयोजन तहसील अध्यक्ष गुलाब हारोलिया के मुख्य आतिथ्य एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष यादराम जांगिड की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के प्रारंभ में फुलेरा क्षेत्र में आने वाले सभी गांव और ढाणी के सभी जांगिड समाज के घर और परिवारों को मन्दिर से जोडना और समाज में सभी वर्ग लोगों को आगे लाने की बात रखी गई। साथ ही फुलेरा के जांगिड समाज के धर्मशाला भवन के विकास कार्यों का मुद्दा रखा गया। इसको लेकर यादराम जांगिड ने जल्द ही इसके लिए सटीक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रमेश कासनीवाल, मांगीलाल जांगिड सुधीर जांगिड उपस्थित रहे।

नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित

पावटा, (निसं)। ग्राम आतेला हाइवे स्थित राजश्री स्कूल में सोमवार को निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर मिश्री देवी अस्पताल बहरोड के तत्वावधान में निदेशक राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। आयोजककर्ता डॉ ललीता, सुनिल यादव ने बताया कि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ विरेन्द्र सिंह यादव ने लोगों की जांच व दवा देकर आपरेशन का समय दिया। आयोजकों ने आगन्तुक अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत कर शिविर के बारे में बताया। इस मौके पर कैरली सरपंच रामजीलाल यादव, लुहाकना कला सरपंच धर्मेंद्र कुमार मीणा, शिक्षाविद बंशीधर यादव, फूलचंद यादव, पूरणमल, जिला संयोजक महेश सैनी, टिंकू प्रजापति, रामसिंह, कमल यादव, चाइना चौधरी, वाइस प्रिंसिपल वनिक चौहान समेत मरीज व चिकित्सा टीम उपस्थित रही।

15 गांवों में होने वाले 73 नवीन संशोधित कार्यों पर चर्चा

खैरथल तिजारा जिला सचिवालय पर कलेक्टर डॉ अर्तिका शुक्ला ने अधिकारियों की बैठक ली।

- पीएम आदर्श ग्राम योजना को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक

खैरथल, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरथल में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 15 गांवों में होने वाले 73 नवीन संशोधित कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीईओ अलवर प्रतिभा वर्मा, सहायक निदेशक समाज कल्याण महेंद्र कुमार, सीएमएचओ अरविंद गेट, अधीक्षण अभियंता पीडब्लूडी बी.एल. माली, अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल मनोज गंगावत, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास बीना गुप्ता आदि अधिकारी मौजूद रहे।

जिला कलेक्टर डॉ अर्तिका शुक्ला ने बताया बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित 15 ग्रामों के 73 नवीन संशोधित कार्यों पर चर्चा की गई। समिति के सदस्य सचिव सहायक निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग महेन्द्र कुमार ने बैठक एजेंडा के बारे में बताया। मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिला परिषद द्वारा संशोधित वीडीपी में चिन्हित कार्यों के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने सभी सम्बंधित विभागो को वीडीपी में अपने विभाग के चयनित कार्यों को अवलोकन करते हुए समीक्षात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसी के साथ कलेक्टर ने नवीन वीडीपी तैयार करते समय अपने विभाग से सम्बंधित प्रधानमंत्री आदर्श ठाम योजना के संकेतकों में आने वाले कार्यों को प्रस्तावित कराने के निर्देश दिए।

संशोधित वीडीपी के कार्यों पर विस्तृत चर्चा के पश्चात उक्त कार्यों का समिति के द्वारा कलेक्टर की अध्यक्षता में अनुमोदन किया गया। जिसमें गांव के आधारभूत आवश्यकता पानी, बिजली, शिक्षा, साफ सफाई, सोलर स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं द्रव पदार्थों का निपटाना, नाली निर्माण जैसे कार्यों को अनुमति दी गई।

नाम परिवर्तन

मैनें अपना नाम राजकुमार से बदलकर राजकुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल निवासी 193, सावलिया धाम जामडोली नियर तेजाजी मन्दिर, जयसिंहपुरा खोर जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे राजकुमार शर्मा के नाम से जाना पहचाना जावें।

मैने अपना नाम रमेश चंद शर्मा से बदलकर रमेश शर्मा S/o लक्ष्मी चंद शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे पता - प्लॉट - S-1/32, वैशाली एलिगेंस, गांधी पथ, जयपुर -302021(राज.)

मैने अपना नाम गोपाल दास से बदलकर गोपाल रामचन्दानी रख लिया है तथा भविष्य में मुझे गोपाल रामचन्दानी के नाम से जाना जाए, गोपाल रामचन्दानी पुत्र श्री नेनुमल, निवासी- प्लॉट नं- 28, सूर्य नगर, बुद्धासिंह पूरा, सांगानेर, जयपुर- 302029

मैने विवाह पश्चात अपना नाम लीना लुहाना से बदलकर प्रांजल ज्ञानचन्दानी पत्नी श्री हरीश ज्ञानचन्दानी रख लिया है। भविष्य मे मुझे प्रांजल ज्ञानचन्दानी के नाम से जाना जाये। पताः- 419, आदर्श नगर, जयपुर।

मैं, IC-64120A लेफ्टिनेंट कर्नल मानवेंद्र सिंह खंगारोत, मकान नंबर- 35, मार्ग-13, कैलाश नगर, पोस्ट-झोटवाडा, जिला-जयपुर, राज्य राजस्थान, शपथ पत्र संख्या- IN-KA41447996085217W दिनांकः 27/02/2024 के माध्यम से घोषित करता हूं कि मेरे सेवा अभिलेखों में मेरे बेटे का नाम गलती से मास्टर वीर आदित्य सिंह खंगारोत लिख दिया गया। मेरे बेटे का सही नाम वीरादित्य सिंह खंगारोत है।

I Have Changed My Name From Mahendara Choudhary to Mahendra Choudhary For All Purpose Add. Triveni Nagar Luniyawas Sewapura Jaipur Raj. 303805.

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 31/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री हरी प्रसाद गर्ग 83/182 सेक्टर नं. 8 चेतक मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर 302033 (राज) ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत अग्रवाल समाज सेवा समिति प्रताप नगर सांगानेर, 83/182, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29/1/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 4/4/24
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 108/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री रमेश कुमार बंसल पुत्र श्री पृथ्वी राज निवासी 12, ऋषि उद्यान, आनासागर झील, पुष्कर रोड अजमेर राजस्थान 305001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत स्वामी आत्मानन्द वैदिक गुरुकुल प्रन्यास पता प्लॉट नं. डी-462 सिद्धार्थ नगर, गेटोर जगतपुरा रोड मालवीय नगर जयपुर राजस्थान 302017 ने राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जाच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11/3/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 20/5/24
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) आमेर, जिला जयपुर
क्रमांक-भू.अ./2024/1917 दिनांक-1/3/2024
आम सूचना का नोटिस हर आम खास को सूचित किया जाता है कि दुर्गा देवी पत्नि हनुमान सहाय जाति महाजन निवासी ग्राम आकेडा-डूंगर तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा अपने जीवनकाल में स्वयं की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि, जो कि ग्राम आकेडा डूंगर के ख.न. 717 रकबा 0.18, 718 रकबा 0.08 कुल किता 02 कुल रकबा 0.26 हेक्टे0 में स्थित है, अपने हक हिस्सा सम्पूर्ण की एक वसीयतनामा अपने पुत्रो प्रार्थीयान रामबाबू गुप्ता, ताराचन्द गुप्ता, राजेन्द्र कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता पुत्रान स्व0 श्री हनुमान सहाय गुप्ता के पक्ष में उपपंजियक जयपुर तृतीय के यहां पंजीबद्ध करवाया गया है। चूंकि वसीयतकर्ता की 14.07.2019 को मृत्यु हो चुकी है। उक्त वसीयत के आधार पर वसीयतगृहता प्रार्थीयान रामबाबू गुप्ता, ताराचन्द गुप्ता, राजेन्द्र कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता पुत्रान स्व0 श्री हनुमान सहाय गुप्ता उनके पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में यदि किसी को कोई उज-एतराज, अथवा आपत्ति हो तो, प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी 15/3/2024 को न्यायालय हाजा में अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण का एकतरफा निस्तारण कर दिया जावेगा। सूचित रहे। यह नोटिस आज दिनांक 1/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।
तहसीलदार (भू.अ.) तहसील आमेर

खोया पाया

भूखण्ड संख्या 41, योजना सांवरिया रेजीडेन्सी-बी का जविप्रा द्वारा जारी पट्टा विलेख मय साईट प्लान, स्टाम्प सहित कहीं खो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। रूचिका वैध 9829813125

भूखण्ड संख्या 42, योजना सांवरिया रेजीडेन्सी-बी का जविप्रा द्वारा जारी पट्टा विलेख मय साईट प्लान, स्टाम्प सहित कहीं खो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। रूचिका वैध 9829813125

भूखण्ड संख्या 07, योजना सांवरिया रेजीडेन्सी-बी का जविप्रा द्वारा जारी पट्टा विलेख मय साईट प्लान, स्टाम्प सहित कहीं खो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। रूचिका वैध 9829813125

जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना कच्ची बस्ती शास्त्री नगर शॉपिंग सेन्टर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 11 का मूल आवंटन पत्र व भूखण्ड संख्या 10 का मूल कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। श्याम कुमार सैनी- मो. नं. 9829068301

Original Allotment Letter be longing to Pushpendra Jain R/o Duplex House-263/828, Seet-26, Pratap Nagar, Jaipur-302033 have been lost. FIR has been lodged, vide L.R.No. 2105812/2024. dt.11 Mar. 2024. Finder send to above address & may In form on 7018296147

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर-302015, राजस्थान)
क्रमांक :- ज.स.अ./2023/440 दिनांक :- 05/03/2024
बोली सूचना संख्या 05/2023-24 (मुख्यालय) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
केन्द्र एंव राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत ठेकेदार, मैन्युफेक्चरिंग अथवा अधिकृत सप्लायर एंव नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पंजीकृत बोलीदाताओ से स्वास्थ्य स्टोर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय द्वारा सफाई कार्य हेतु सफाई सामग्री डस्टबिन एंव सफाई कर्मचारियो के लिये रिफलेक्टर जैकेट आपुर्ति करने के लिये बोलीयां आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व राजस्थान सरकार के पोर्टल http;//sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है। UBN No. JMC2324GLOB01695 है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी
(प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य स्टोर)
राज.संवाद/सी/23/14586

कार्यालय अधिशाषी अभियंता (सिविल लाईन जोन)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज
(साईन्स पार्क के पास, शास्त्री नगर, जयपुर)
क्रमांक :- एफ-29( ) अ.अ.सि.ला.जोन/23-24/553 दिनांक :- 04/03/2024
ई-निविदा सूचना संख्या 70 से 72/2023-24
केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत "एए","ए" व अन्य उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्यो की निविदां आमंत्रित की जाती हैं। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम जयपुर हैरिटेज की Web Site www.jaipurmcheritage.org पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकेगीं। SPPP portal UBN No. JMC2324WSOB01692 To JMC2324WSOB01694
अधिशाषी अभियन्ता, सिविल लाईन जोन
नगर निगम जयपुर हैरिटेज
राज.संवाद/सी/23/14651

पढ़ने के इच्छुक गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा

Aim for seva पिछले 15 वर्षों से जयपुर एवं Udaipur में, पढ़ने के इच्छुक गरीब छात्रों के लिए मुफ्त रहने, खाने, पढ़ने की सुविधा है नये शिक्षा सत्र में Admission के लिए कृपया नीचे दिए गूगल फार्म लिंक में registration करायें।
https://aimforseva.in/

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर
क्रमांक :- ज.स.अ./2023/433 दिनांक :- 04/03/2024
ई-निविदा सूचना क्रमांक :- 66/2023-24
SUPPLY AND DELIVERY OF 02 TRUCK MOUNTED ROAD SWEEPER MACHINES कार्य के लिए पंजीकृत फर्म्स से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jaipurmc.org, www.sppp.raj.nic.in and www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेन्ट के UBN No. JMC2324GLOB01665 पर देखी जा सकती है।
उपायुक्त (गैराज)
नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर
राज.संवाद/सी/23/14593

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लि. के नाम से जाना जाता था)
IDFC FIRST Bank
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022
अधिकृत अधिकारी- सरदीप राठौड, संपर्क नम्बर-9887772255 ई-मेल-sardeep.rathore@idfcbank.com
विधि अधिकारी- आंचल शर्मा, संपर्क नम्बर-7737204242 ई-मेल आईडी-aanchal.sharma@idfcbank.com

परिशिष्ट-IV-ए
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना/एतद् द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणग्रहिता (ओं) व जमानती (यों) को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियाँ सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्ज़ा आईडीएफसी बैंक लि. अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 16.04.2024 को "जहाँ है जैसी है" "जो कुछ है यह हैं" तथा "जो कुछ है वहाँ है" के आधार पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड) के खाता संख्या 10050487817 में 28.06.2021 को बकाया रूपये 1,12,51,792/- की सुनीता गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, अलोक गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता द्वारा समृद्धि इन्फ्रा, अलोक गुप्ता द्वारा एग्रो फैब ऋणग्रहिता (ओं) एवं सह-ऋणग्रहिता (ओं) से वसूली के लिये की जायेगी।

ऑक्शन स्टेट्स

सम्पत्ति का विवरण	रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. 411 और 412, चौथी मंजिल, ब्लाक-1, अथैना अपार्टमेन्ट, प्लाट नं.सी-2, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर-302016, जहाँ फ्लैट नं.411 अनुमानित क्षेत्रफल 150.18 वर्गफिट, तथा फ्लैट नं. 412 अनुमानित क्षेत्रफल 1340.31 वर्ग फिट, रिजर्व कार पार्किंग नं. 46 एवं 47, स्टिलट फ्लोर में, का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-कोरीडोर, पश्चिम-खुला, दक्षिण-लिफ्ट, उत्तर-खुला
आरक्षित मूल्य	रूपये 1,21,10,215/- (रूपये एक करोड इक्कीस लाख दस हजार दौ सौ और पन्द्रह मात्र)
बयाना राशि जो जमा होगी	रूपये 12,11,021.5/- (रूपये बारह लाख ग्यारह हजार इक्कीस और पैसा पचास मात्र)
सम्पत्ति के निरीक्षण का दिन व समय	09.04.2024 प्रात 11.00 से सायं 4.00 तक
बोली प्रस्तुत करने / बयाना राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	15.04.2024 सायं 5.00 तक
नीलामी की तिथि एवं समय	16.04.2024 प्रात 11.00 से दिन में 1.00 तक

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये लिंक को देखें अर्थात http://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC
अस्वीकरण- कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए जारी किया गया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चल सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, यदि कोई, अचल सम्पत्ति पर मौजूद हो।
दिनांक- 11.03.2024
स्थान - जयपुर
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लि. के नाम से जाना जाता था)